(16)

मद संख्या-6 : वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक (बजट) पर विचार।

प्राधिकरण के समक्ष वर्ष 1986-87 के लिए प्रस्तावित बजट रखा गया जिस पर विचार विमर्श हुआ। अध्यक्ष महोदय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि पूंजीगत आय एंव व्यय में जो टिबड़ी की आवासीय योजना से आय एंव व्यय दर्शाई गई है उसे बजट में से हटा दिया जाय क्योंकि टिबड़ी की पूरी नगरपालिका भूमि पर प्राधिकरण व्दारा आवास निर्माण किया जाना उचित न होगा। यहां पर चूंकि अब केवल पांच एकड़ भूमि पर संशोधित आवासीय योजना बनाई जा रही है अत: बजट में तदनुसार संशोधन कर लिया जाय। बजट की शेष मदों पर विचार विमर्श के उपरांत प्राधिकरण व्दारा स्वीकृति प्रदान की गई।

[प्राधिकरण के उपर्युक्त निर्णय से बजट में निम्न परिवर्तन हो गए है :-

1- पूंजीगत आय के क्रमांक 3(क) में 20 लाख रूपए के स्थान पर केवल 4 लाख रूपए का अनुमान लिखा जाय। इस प्रकार कुल पूंजीगत आय रू0 169.99 लाख के बजाय 143.99 लाख लिखी जाय।

2- पूंजीगत व्यय की मद सं0 2(क) में 10 लाख रूपए के स्थान पर 2 लाख रूपए तथा 3(क)-1 में 10 लाख के स्थान पर 2 लाख का अनुमान दर्शाया जाय। इस प्रकार कुल पूंजीगत व्यय रू0 57.39 लाख के बजाय 41.39 लाख लिखा जाय]।

इन संशोधनों के साथ बजट वर्ष 1986-87 स्वीकृत हुआ जिसका एक दृष्टि में विवरण निम्न प्रकार है :-

	31-10-86 तक वास्तविक	वर्ष 86-87 के लिए अनुमानित
राजस्व आय	19,418-00	4,37,000-00
पूंजीगत आय	25,00,000-00	1,43 99,000-00
कुल आय	25,19,418-00	1,48,36,000-00
राजस्व व्यय	1,05,527-42	6,59,000-00
पूंजीगत व्यय	2,18,164-22	41,39,000-00
कुल व्यय	3,23,691-64	47,98,000-00
अंतिम अवशेष	21,95,726-36	1,00,38,000-00

23/12/86
सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार।

23/12/86
उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार।

23.12
जिलाधिकारी
सहारनपुर

Scanned by CamScanner